No Mask-No Entry

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजस्ट्रिट अरांई, जिला अजमेर

E-Mail:- sdoarain@gmail.com
sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव
कैम्प कोर्ट कटसूरा दिनांक 10/11/2021 क्रमांक 383/2020

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज 1/2020 दिनांक 24.09.2021 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर आज दिनांक 10.11.2021 को कोर्ट कैम्प कटसूरा में पेश हुई। वादी उप०। उक्त प्रा.पत्र में प्रार्थी द्वारा ग्राम कटसूरा स्थित कृषि भूमि खाता स. 194 खसरा स. 1182, 1399, 1443, 1880, 2051, 2209, 2274 व 839 में गोपाल पुत्र राधामोहन के स्थान पर रामगोपाल पुत्र राधामोहन, गोविन्द के स्थान पर गोविन्दनारायण एवं सुरेश के स्थान पर सुरेशचन्द्र करवाने की प्रार्थना की। प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड प्रति, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया। मजमे आम व प्रार्थी को सुना गया। सम्बन्धित पटवारी, मू.अ.नि. व तहसीलदार अरांई ने उपरोक्त बुद्धि की अनुशंसा की है। अतः संलग्न दस्तावेजात तहसीलदार अरांई रिपोर्ट व उप० मजमे आम व सरपंच कटसूरा अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को ग्राम कटसूरा स्थित कृषि भूमि खाता स. 194 खसरा स. 1182, 1399, 1443, 1880, 2051, 2209, 2274, 839 में गोपाल के स्थान पर रामगोपाल, गोविन्द के स्थान पर गोविन्दनारायण व सुरेश के स्थान पर सुरेशचन्द्र दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार [illegible] जिला अरांई में [illegible] करे। प्रा.पत्र फैसल शुमार [illegible] नम्बर [illegible] ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:15:57 IST
Reason: SelfAttested

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)